



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042026-271922
CG-DL-E-20042026-271922

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 271]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 295(अ)—केन्द्रीय सरकार सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध, समूह 'क' (तकनीकी स्टाफ), भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध में उप महानिरीक्षक, कमांडेंट, द्वितीय-कमान-अधिकारी, उप कमांडेंट तथा सहायक कमांडेंट के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध, समूह 'क' (तकनीकी स्टाफ काँडर), भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना. — ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा एवं अन्य योग्यताएँ आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट होंगी।
5. **प्रोन्नति हेतु चिकित्सीय मानक.**— इन नियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सीय श्रेणी SHAPE-I में हैं, अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।
6. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु चिकित्सीय मानक.**— केवल वे व्यक्ति जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार चिकित्सीय एवं शारीरिक रूप से उपयुक्त हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
7. **भर्ती के लिए शारीरिक मानक.**— इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार लागू होंगे।
8. **सेवा दायित्व.**— इन नियमों के अधीन किसी भी श्रेणी के पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति भारत अथवा विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए बाध्य होगा।
9. **ज्येष्ठता सूचियों का संधारण.**— सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध द्वारा बल मुख्यालय में केन्द्रीकृत रूप से प्रत्येक पद के लिए पृथक ज्येष्ठता सूची, कार्यवाहक या स्थायी क्षमता में हो, अनुरक्षित की जाएगी।
10. **ज्येष्ठता.**—
 - (1) अधिष्ठायी या स्थानापन्न क्षमता में उच्च पद धारण करने वाले सभी अधिकारी, निम्न पद धारण करने वाले अधिकारियों के ज्येष्ठ होंगे।
 - (2) किसी विशेष पदनाम में, किसी पद पर नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता उस पद पर नियुक्ति हेतु चयन के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
 - (3) उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन, समान पद धारण करने वाले अधिकारियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता निम्नानुसार होगी:—
 - (क) एक ही दिन प्रोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता उस क्रम में अवधारित की जाएगी जिसमें उन्हें उस पद पर प्रोन्नति हेतु चयनित किया गया है;
 - (ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता 'संयुक्त' योग्यता के क्रम में निर्धारित की जाएगी, जो कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा तथा सीमा सुरक्षा बल के प्रारंभिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों को 50:50 के अनुपात में अवधारित की जाएगी:

परंतु यह भी कि, सीधी भर्ती के मामले में नियुक्ति की तारीख, नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख होगी:

परंतु यह भी कि, यदि दो या उससे अधिक अधिकारियों ने संयुक्त योग्यता में समान अंक प्राप्त किए हों, तो उनकी योग्यता का क्रम उनकी जन्म तारीख के अनुसार निर्धारित किया जाएगा:

परंतु यह भी उपबंधित किया जाता है कि, चयन के पश्चात प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने में विलंब के मामलों में वरिष्ठता निम्नानुसार होगी :—

 - (i) मंत्रालय या विभाग द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव, नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि तक वैध रहेगा, जिसके पश्चात वह स्वतः निरस्त हो जाएगा;
 - (ii) तथापि, यदि उक्त चार सप्ताह की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अभ्यर्थी द्वारा समय-विस्तार का अनुरोध प्राप्त होता है और गृह मंत्रालय द्वारा समुचित विचार के पश्चात आवश्यक समझा जाता है, तो चार सप्ताह के अतिरिक्त अधिकतम दो सप्ताह का विस्तार प्रदान किया जा सकता है तथा जो अभ्यर्थी छह

सप्ताह की अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण करते हैं, उनकी वरिष्ठता उप-नियम (3) के खंड (ख) के प्रथम उपबंध के अनुसार निर्धारित की जाएगी;

(iii) खंड (ii) में कथित दो सप्ताह के विस्तार की अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात भी यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि (जो कि छह सप्ताह से अधिक नहीं होगी) के भीतर रिपोर्ट नहीं करता है, तो नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जाएगा;

(iv) जो नियुक्ति आदेश निरस्त हो चुका है, उसे सामान्यतः पुनः प्रभावी नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों में तथा लोकहित के आधार पर, जिसे लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा, और केवल गृह मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात।

(v) जहाँ खंड (iv) के अधीन नियुक्ति प्रस्ताव को पुनः प्रभावी किया जाता है, वहाँ संबंधित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता आगामी चयन परीक्षा के अभ्यर्थियों से ऊपर निर्धारित की जाएगी, परंतु यदि ऐसा अभ्यर्थी आगामी चयन परीक्षा के किसी अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसे ऐसे अभ्यर्थियों में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे स्थान दिया जाएगा;

(vi) परंतु यह भी कि, प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने में विलंब के मामलों में ज्येष्ठता, उप-नियम (3) के खंड (ख) के तृतीय उपबंध के मद (i), (ii) एवं (iii) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

11. निरहता .- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका जीवनसाथी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि / पर्सनल लॉ के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

12. विदेशी नागरिकों के लिए अपात्रता .- जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसे केन्द्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि इन नियमों में निहित कोई भी बात नेपाल या भूटान के किसी नागरिक की इन नियमों के अधीन नियुक्ति, नामांकन या नियोजन में बाधक नहीं होगी।

13. अधिवार्षिता .-

(1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कार्मिक, उस माह के अंतिम दिन की अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त होंगे, जिसमें वे साठ वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अथवा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या निर्देशों के अनुसार अपनी सेवा से सेवा निवृत्त होगा।

परंतु यह कि जिस अधिकारी की जन्मतिथि किसी माह की पहली तिथि है, वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन की अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त होगा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिवार्षिता की निर्धारित आयु के पश्चात किसी भी व्यक्ति को सेवा में विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

14. शिथिलीकरण की शक्तियाँ .- उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

15. **व्याख्या.**— यदि इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसका निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।
16. **व्यावृत्ति .**— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम ।	पद संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर ।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. उप महानिरीक्षक (जल स्कंध) ।	01* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-13 'क'(131100-216600 रु.) ।
चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(5)	(6)	(7)	
चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ आमेलन द्वारा ।	
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।			
(11)			
प्रोन्नति:			
सीमा सुरक्षा बल के जल स्कंध के ऐसे कमांडेंट जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रु.) में और समूह 'क' में बीस वर्ष की सेवा की हों; जिसमें सुसंगत क्षेत्र में कमांडेंट (जल स्कंध) के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा सम्मिलित है; और			
(i) प्रवेश स्तर के पदों के लिए विहित बुनियादी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए; और			
(ii) समय-समय पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक द्वारा यथा विहित अन्य पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षणों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।			

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / आमेलन:

केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने समूह 'क' में बीस वर्ष की सेवा हो; और

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर-13 (123100-215900 रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और एवं अनुभव रखते हों, अर्थात् :-

(i) मोटर परिवहन या जल स्कंध या विशेष मरम्मत संगठन या केंद्रीय मोटर परिवहन विद्यालय में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव; या

(ii) मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मरीन इंजीनियरिंग में डिग्री।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग को ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने को पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-4: आमेलन केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों के मामले में ही किया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
(12)		(13)	
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-		लागू नहीं होता	
1. सचिव या विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय		- अध्यक्ष;	
2. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य;	
3. अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से एक महानिदेशक - सदस्य; (अध्यक्ष द्वारा नामित)			
4. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय		- सदस्य।	
(1)	(2)	(3)	(4)
2. कमांडेंट (जल स्कंध)।	03* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-13 में (123100-215900 रु.)।
(5)	(6)		(7)
चयन।	लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प कालिक संविदा सहित)/आमेलन द्वारा भरे जाएंगे।	
(11)			
प्रोन्नति:			
सीमा सुरक्षा बल के ऐसे द्वितीय-कमान-अधिकारी (जल स्कंध) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स स्तर-12 में पंद्रह वर्ष की समूह-'क' की सेवा की है जिसमें वेतन मेट्रिक्स स्तर-12 (78800-209200 रु.) में द्वितीय-कमान-अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष की नियमित सेवा सम्मिलित है; और			
(i) प्रवेश स्तर के पदों के लिए विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक अर्हित किया हो; तथा			
(ii) समय-समय पर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा विहित अन्य पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण अर्हित किया हो; और			
(iii) सुसंगत क्षेत्र में द्वितीय-कमान-अधिकारी (जल स्कंध) के रूप में दो साल की नियमित सेवा की हो।			

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)/आमेलन :-

केंद्रीय अर्ध-सैनिक बलों, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, अर्थात्:-

(i) मोटर परिवहन या वाटर विंग या स्पेशल रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव; या

(ii) मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मरीन इंजीनियरिंग में डिग्री।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग को ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने को पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-4: आमेलन केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों के मामले में ही किया जा सकता है।

टिप्पण-5: संबंधित श्रेणी में पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति पूरी कर चुके अधिकारी, यदि उस पद पर प्रोन्नति हेतु फीडर काडर में पात्र अधिकारी उपलब्ध न हों, तो महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा उनके कार्य-निष्पादन के निर्धारण के उपरांत आमेलन के लिए विचारार्थ लिए जा सकते हैं।

(12)			(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महानिदेश - अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. संयुक्त सचिव - सदस्य ; गृह मंत्रालय 3. महानिरीक्षक - सदस्य ; सीमा सुरक्षा बल 4. महानिरीक्षक - सदस्य । सीमा सुरक्षा बल			लागू नहीं होता ।
(1)	(2)	(3)	(4)
3.द्वितीय-कमान-अधिकारी (जल स्कंध) ।	04* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 12 में (78800-209200 रु.) ।
(5)	(6)		(7)
चयन ।	लागू नहीं होता ।		लागू नहीं होता ।
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ आमेलन द्वारा।	
(11)			
प्रोन्नति:- सीमा सुरक्षा बल के ऐसे उप कमांडेंट (जल स्कंध) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स स्तर -11 में दस वर्ष समूह-'क' की सेवा की है, जिसमें वेतन मेट्रिक्स स्तर-11 (67700-208700 रु.) में उप कमांडेंट के रूप में पाँच वर्ष की नियमित सेवा सम्मिलित है; और (i) प्रवेश स्तर के पदों के लिए विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक अर्हित किया हो; और (ii) समय-समय पर महानिदेशक, सीसुब द्वारा विहित पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो; तथा (iii) संबंधित क्षेत्र में उप कमांडेंट (जल स्कंध) के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे			

कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन:-

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों ; या

(ii) वेतन मेट्रिक्स में स्तर-11(67700-208700 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखने वाले, अर्थात्:-

(i) मोटर परिवहन या जल स्कन्ध या विशेष मरम्मत संगठन या केन्द्रीय मोटर परिवहन विद्यालय में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो; या

(ii) मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मरीन इंजीनियरिंग में डिग्री।

टिप्पण -1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण -3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-4: आमेलन केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों के मामले में ही किया जा सकता है।

टिप्पण- 5: जो अधिकारी अपने-अपने ग्रेड में चार वर्ष से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उनके कार्य निष्पादन का निर्धारण महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा किए जाने के उपरांत आमेलन के लिए विचार किया जा सकता है, अगर पोषक संवर्ग में उस विशेष पद पर प्रोन्नति के लिए योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
1. महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	- अध्यक्ष;
2. संयुक्त सचिव	- सदस्य ;

गृह मंत्रालय			
3. महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य ;	
4. महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य ।	
(1)	(2)	(3)	(4)
4.उप कमांडेंट (जल स्कंध) ।	06* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-11 (67700- 208700 रु.)।
(5)	(6)		(7)
चयन।	लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।
(8)		(9)	(10)
लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) / आमेलन द्वारा।
(11)			
प्रोन्नति:			
सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडेंट (जल स्कंध) में से, जिनका वेतन मेट्रिक्स स्तर-10 (56100-177500 रु.) हो और जिन्होंने इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और			
(i) प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो; और			
(ii) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर विहित किए गए प्री-प्रमोशन (तकनीकी) कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए; और			
(iii) संबंधित क्षेत्र में सहायक कमांडेंट (जल स्कंध) के रूप में दो वर्ष का अनुभव।			
टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।			
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / आमेलन:			
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के			

अधिकारी,-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों ; या

(ii) वेतन मेट्रिक्स स्तर -10 (56100-177500 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों, अर्थात् :-

(i) मोटर परिवहन या जल स्कंध या विशेष मरम्मत संगठन या केंद्रीय मोटर परिवहन विद्यालय में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो; या

(ii) मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मरीन इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या तीन साल का डिप्लोमा।

टिप्पण -1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने को पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-4: आमेलन केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों के मामले में ही किया जा सकता है।

टिप्पण -5: जो अधिकारी अपने-अपने ग्रेड में चार वर्ष से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उनके कार्य निष्पादन का निर्धारण महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा किए जाने के उपरांत आमेलन के लिए विचार किया जा सकता है, अगर पोषक संवर्ग में उस विशेष पद पर प्रोन्नति के लिए योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं।

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

लागू नहीं होता।

1. महानिदेशक - अध्यक्ष;
सीमा सुरक्षा बल

2. महानिरीक्षक - सदस्य;
सीमा सुरक्षा बल

3. निदेशक या उप सचिव - सदस्य;
गृह मंत्रालय

4. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल		- सदस्य ।	
(1)	(2)	(3)	(4)
5. सहायक कमांडेंट (जल स्कंध) ।	13* (2026) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक) ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)।
(5)	(6)		(7)
चयन पद।	<p>आयु 22 से 28 वर्ष के बीच ।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए विहित है।</p>		<p>(क) शैक्षणिक अर्हता:</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से या समतुल्य से मरीन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या समकक्ष।</p> <p>(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण करना होगा।</p> <p>टिप्पण-1: सहायक कमांडेंट (सीधी भर्ती) के पद पर महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों की गणना कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर प्रतिवर्ष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जाएंगी।</p> <p>टिप्पण-2: अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों, जो लेखबद्ध किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>

8	9	10
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	<p>(i) साठ प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने की दशा में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन द्वारा भरे जाएंगे।</p> <p>(ii) चालीस प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, जिनमें से दस प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों में से भरे जाएंगे।</p>
(11)		
<p>प्रोन्नति :</p> <p>सीमा सुरक्षा बल के वाटर विंग में वेतन मेट्रिक्स स्तर-7 (44900-142400 रु.) में निरीक्षक (मास्टर), निरीक्षक (इंजन चालक) तथा निरीक्षक (कर्मशाला) में से प्रोन्नति, जिनकी उक्त श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा हो; तथा</p> <p>(i) प्रवेश स्तर के पदों के लिए विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो; तथा</p> <p>(ii) समय-समय पर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा विहित पूर्व-पदोन्नति (तकनीकी) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो; तथा</p> <p>(iii) संबंधित क्षेत्र में वाटर क्राफ्ट के संचालन एवं प्रबंधन अथवा फील्ड वर्कशॉप के पर्यवेक्षण का दो वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण-1: प्रधान भर्ती नियम, 2012 में संशोधन जारी होने की तारीख को नियमित आधार पर फीडर पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा पूर्ववत् ही रहेगी।</p> <p>टिप्पण-2 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)/आमेलन:</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी:</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों, अर्थात्:-</p> <p>(i) मोटर परिवहन या वाटर विंग या स्पेशल रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव; या</p>		

(ii) मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मरीन इंजीनियरिंग में डिग्री।

टिप्पण -1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण -2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-4: आमेलन केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों के मामले में ही किया जा सकता है।

टिप्पण-5: संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति पूरी कर चुके अधिकारी, यदि उस पद पर प्रोन्नति हेतु फीडर काडर में पात्र अधिकारी उपलब्ध न हों, तो महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा उनके कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के उपरांत समावेशन के लिए विचारार्थ लिए जा सकते हैं।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
1. महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष;	
2. महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल - सदस्य;	
3. निदेशक या उप सचिव गृह मंत्रालय - सदस्य;	
4. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल - सदस्य।	
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1. महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल - अध्यक्ष;	
2. महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल - सदस्य;	

3. निदेशक या उप सचिव गृह मंत्रालय	- सदस्य;	
4. उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल	- सदस्य।	

[फा.सं. सी-17/06/2025/कार्मिक-गोपनीय/ बीएसएफ]

शिव लहरी मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2026.

G.S.R. 295(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) and in supersession of the Border Security Force, Water Wing, Group-‘A’ (Technical Staff), Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Inspector General, Commandant, Second-in-Command, Deputy Commandant and Assistant Commandant in the Water Wing of the Border Security Force in the Ministry of the Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Border Security Force, Water Wing, Group- ‘A’ (Technical Staff Cadre), Recruitment Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.**- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of post, classification and level in pay matrix.**- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
5. **Medical standard for promotion.**- Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for promotion to the posts specified in column (1) of the Schedule.
6. **Medical standard for direct recruits.**- Only those persons who are medically and physically fit as per the guidelines issued by the Ministry of Home Affairs and as per the scheme prescribed by the Central Government from time to time shall be eligible for appointment to the posts specified in the column (1) of the said Schedule under the provision of these rules.
7. Physical standard for recruitment shall be applicable as per the Scheme specified by the Central Government from time to time in this regard.
8. **Liability of service.**- Any person appointed to any category of posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.
9. **Maintenance of seniority lists.**- Separate seniority lists for each of the ranks shall be maintained centrally at the Head Quarter of the Force whether in an officiating or substantive capacity by Border Security Force, Water Wing.

10. Seniority.- (1) All officers holding a higher rank whether in an officiating or substantive capacity shall be senior to the officers holding a lower rank.

(2) In a particular rank, seniority of officers appointed to any post shall be determined in accordance with the order of selection for appointment to that post.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (2), inter-se-seniority amongst officers holding the same rank shall be as follows: -

(a) seniority of officers promoted on the same day shall be determined in the order in which they are selected for promotion to that rank;

(b) inter-se-seniority of direct recruits shall be arranged in the order of 'combined' merit which shall be determined after adding together the marks obtained by them in the competitive examination conducted by the Border Security Force and the Basic Professional Course of the Border Security Force in the ratio of 50:50:

Provided that in the case of direct recruits, the date of appointment shall be the date of joining the venue as mentioned in the offer of appointment:

Provided further that if two or more officers have secured equal marks in the combined merit, then, their order of merit shall be considered as per the order of their dates of birth:

Provided also that the seniority in cases of delay in reporting for training after selection shall be as under:-

(i) an offer of appointment issued by the Ministry or Department shall be valid for a period of four weeks from the date for joining mentioned in the offer of appointment after which the offer would lapse automatically;

(ii) if, however, within the specified period of four weeks, a request is received from the candidate for extension of time and after due consideration by the Ministry of Home Affairs, he may be granted extension for a maximum period of two weeks in addition to the four weeks if facts and circumstances deem it necessary to do so and the candidates who join within a period of six weeks shall have their seniority fixed as per first proviso of clause (b) of sub-rule (3);

(iii) after the grant of extension of two weeks as stated in clause (ii), if a candidate fails to report within the stipulated time (which shall not exceed a period of six weeks), the offer of appointment shall lapse automatically;

(iv) an order of appointment which has lapsed, shall not ordinarily be revived, except in exceptional circumstances and on grounds of public interest to be recorded in writing, and only after obtaining the approval of the Ministry of Home Affairs;

(v) where the offer of appointment is revived under clause (iv), the seniority of candidates concerned shall be fixed above the candidates of the next selection examination, but, in case, such candidate joins after any of the candidate of the next selection examination has joined, he shall be placed below the last of such candidate;

(vi) Provided further that seniority in case of delay in reporting for training shall be fixed in accordance with the provisions of items (i), (ii) and (iii) of third proviso of clause (b) of sub-rule (3).

11. Disqualifications. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Ineligibility of aliens. - No persons who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed or employed under these rules:

Provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, enrolment or employment of a subject of Nepal or Bhutan under these rules.

13. Superannuation. - (1) The personnel appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which they attains the age of sixty years or as per the order or instructions issued by the Central Government from time to time in this regard:

Provided that an Officer whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation as specified in sub-rule (1).

14. Powers to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
15. Interpretation. - If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.
16. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Deputy Inspector General (Water Wing).	01* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-13 A in pay matrix (Rs.131100-216600).
Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.		Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)		(7)
Selection.	Not applicable.		Not applicable.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.		By promotion, failing which by Deputation (including short term contract)/ absorption).

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.

(11)

Promotion:

From amongst the Commandant (Water Wing) of the Border Security Force in level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900) with twenty years Group- 'A' service including two years regular service as Commandant (Water Wing) in the relevant field; and

(i) must have qualified basic training as prescribed for entry level posts; and

(ii) must have qualified other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force, from time to time.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period and other prescribed training or courses for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract) / absorption:

Officers of Central Para Military Forces or the Central Government or the State Governments or the Union territories administration or the public sector undertaking having twenty years' of Group 'A' service; and

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with two years' regular service in level-13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) minimum three years' experience in Motor Transport or Water Wing or Special Repair Organisation or Central School of Motor Transport; or

(ii) Degree in Mechanical Engineering or Automobile Engineering or Marine Engineering.

Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years of age as on the last date of receipt of applications.

Note 4: Absorption can be effected only in the case of officers from the Central Government or the State Governments or the Union territories administration.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	
(12)		(13)	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Secretary or Special Secretary (Internal Security) Ministry of Home Affairs - Chairperson; 2. Director General Border Security Force - Member; 3. One Director General from other Central Armed Police Forces (to be nominated by the Chairperson) - Member; 4. Joint Secretary (Police) Ministry of Home Affairs - Member.		Not applicable.	
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Commandant (Water Wing).	03* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial (Combatized).	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).
(5)	(6)		(7)
Selection.	Not applicable.		Not applicable.
(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short term contract)/ absorption.	
(11)			
Promotion:			
From amongst the Second-in-Command (Water Wing) of the Border Security Force in Level-12 in the pay matrix with fifteen years Group- 'A' service including five years of regular service in the Second-in-Command in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200); and			
(i) must have qualified basic training as prescribed for entry level posts; and			
(ii) must have qualified other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force, from time to time; and			
(iii) two years regular service as Second-in-Command (Water Wing) in the relevant field.			
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is lesser, and have successfully completed their probation period and other prescribed training or courses for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.			
Deputation (including short term contract)/absorption:			

Officers of Central Para Military Forces or the Central Government or the State Governments or the Union territories administration or the public sector undertaking-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with five years' regular service in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200); and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) having minimum three years experience in Motor Transport or Water Wing or Special Repair Organisation or Central School of Motor Transport; or

(ii) Degree in Mechanical Engineering or Automobile Engineering or Marine Engineering.

Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years of age as on the last date of receipt of applications.

Note 4: Absorption can be effected only in the case of officers from the Central Government or the State Government or the Union territories administration.

Note 5: Officials who are on deputation for five years in their respective grade can be considered for absorption after assessing their performance by the Director General, Border Security Force, if, eligible officers are not available in the feeder cadre for promotion to the particular post.

(12)		(13)	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-		Not applicable.	
1. Director General Border Security Force	- Chairperson;		
2. Joint Secretary Ministry of Home Affairs	- Member;		
3. Inspector General Border Security Force	- Member;		
4. Inspector General Border Security Force	- Member.		
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Second-in- Command (Water Wing)	04* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial (Combatised).	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).
(5)	(6)		(7)
Selection.	Not applicable.		Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short term contract)/ absorption.
(11)		
<p>Promotion:</p> <p>From amongst the Deputy Commandant (Water Wing) of the Border Security Force in level-11 in the pay matrix with ten years Group- 'A' service including five years' regular service in the Deputy Commandant in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700); and</p> <p>(i) must have qualified basic training as prescribed for entry level posts; and</p> <p>(ii) must have qualified other courses or training as prescribed by the Director General, Border Security Force, from time to time; and</p> <p>(iii) Two years regular service as Deputy Commandant (Water Wing) in the relevant field.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is lesser, and have successfully completed their probation period and other prescribed training or courses for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract)/ absorption:</p> <p>Officers of Central Para Military Forces or the Central Government or the State Governments or the Union territories administration or the public sector undertaking-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700); and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>(i) having minimum three years experience in Motor Transport or Water Wing or Special Repair Organisation or Central School of Motor Transport; or</p> <p>(ii) Degree in Mechanical Engineering or Automobile Engineering or Marine Engineering.</p> <p>Note-1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years of age as on the last date of receipt of applications.</p> <p>Note 4: Absorption can be effected only in the case of officers from the Central Government or the State Governments or the Union territories administration.</p>		

Note 5: Officials who are on deputation for four years in their respective grade can be considered for absorption after assessing their performance by the Director General, Border Security Force, if, eligible officers are not available in the feeder cadre for promotion to the particular post.

(12)		(13)	
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-		Not applicable	
1. Director General Border Security Force	- Chairperson;		
2. Joint Secretary Ministry of Home Affairs	- Member;		
3. Inspector General Border Security Force	- Member;		
4. Inspector General Border Security Force	- Member.		
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Deputy Commandant (Water Wing).	06* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).
(5)	(6)		(7)
Selection.	Not applicable.		Not applicable.
(8)	(9)	(10)	
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short term contract)/ absorption.	
(11)			

Promotion:

From amongst the Assistant Commandant (Water Wing) of Border Security Force in level- 10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with five years' regular service in the grade; and

- (i) must have qualified basic training as prescribed for entry level posts; and
- (ii) must have qualified Pre-Promotion (Technical) course as prescribed by the Director General, Border Security Force, from time to time; and
- (iii) Two years experience as Assistant Commandant (Water Wing) in the relevant field.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is lesser, and have successfully completed their probation period and other prescribed training or courses for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract) / absorption:

Officers of Central Para Military Forces or Central Government or State Governments or the Union territories administration or the public sector undertaking,-

- a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with five years' regular service in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500); and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) having minimum three years' experience in Motor Transport or Water Wing or Special Repair Organisation or Central School of Motor Transport; or

(ii) Bachelors Degree or three years Diploma in Mechanical or Automobile Engineering or Marine Engineering.

Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

Note 4: Absorption can be effected only in the case of officers from the Central Government or the State Governments or the Union territories administration.

Note 5: Officials who are on deputation for four years in their respective grade can be considered for absorption after assessing their performance by the Director General, Border Security Force, if, eligible officers are not available in the feeder cadre for promotion to the particular post.

(12)			(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-			Not applicable
1. Director General Border Security force	- Chairperson;		
2. Inspector General Border Security Force	- Member;		
3. Director or Deputy Secretary Ministry of Home Affairs	- Member;		
4. Deputy Inspector General Border Security Force	- Member.		
(1)	(2)	(3)	(4)
5. Assistant Commandant (Water Wing).	13* (2026) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial (Combatized).	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100- 177500).
(5)	(6)		(7)
Selection.	Between 22 and 28 years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the		(a) Educational qualification: Bachelors Degree in Marine Engineering or Mechanical Engineering or Electrical and Electronics Engineering or Automobile Engineering or equivalent from a recognised university or institution or equivalent. (b) Should qualify the physical efficiency test,

	age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	written test and interview. Note 1: The vacancies for female candidates to be filled up in the rank of Assistant Commandant (direct entry) will be calculated on year to year basis by Director General, Border Security Force on functional requirement basis. Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.
8	9	10
Not applicable	Two years.	1. Sixty percent by promotion, failing which by deputation (including short term contract)/ absorption. 2. Forty percent by direct recruitment (including ten percent from amongst ex-Serviceman).
(11)		
<p>Promotion:</p> <p>Promotion from amongst the Inspector (Master), Inspector (Engine Driver) and Inspector (Workshop) in the Water Wing in the Border Security Force in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with five years' regular service in the grade; and</p> <p>(i) must have qualified basic training as prescribed for entry level posts; and</p> <p>(ii) must have qualified Pre-Promotion (Technical) Course as prescribed by the Director General, Border Security Force, from time to time; and</p> <p>(iii) Two years experience as operation and management of Water Crafts in the relevant field or supervision of field workshop.</p> <p>Note 1: The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of issue of amendment in Principal Recruitment Rules, 2012.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is lesser, and have successfully completed their probation period and other prescribed training or courses for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract)/absorption:</p> <p>Officers of the Central Government or the State Governments or the Union territories administration or the public sector undertaking:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -</p> <p>(i) having minimum three years experience in Motor Transport or Water Wing or Special Repair Organisation or Central School of Motor Transport; or</p>		

(ii) Degree in Mechanical Engineering or Automobile Engineering or Marine Engineering.

Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment, in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years of age as on the closing date of receipt of application.

Note 4: Absorption can be effected only in the case of officers from the Central Government or the State Governments or the Union territories administration.

Note 5: Officials who are on deputation for three years in their respective grade can be considered for absorption after assessing their performance by the Director General, Border Security Force, if, eligible officers are not available in the feeder cadre for promotion to the particular post.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	Not applicable
1. Director General Border Security Force - Chairperson;	
2. Inspector General Border Security Force - Member;	
3. Director or Deputy Secretary Ministry of Home Affairs - Member;	
4. Deputy Inspector General Border Security Force - Member.	
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. Director General, Border Security Force - Chairperson;	
2. Inspector General Border Security Force - Member;	
3. Director or Deputy Secretary Ministry of Home Affairs - Member;	
4. Deputy Inspector General Border Security Force - Member.	

[F. No. C-17/06/2025/Pers-Conf/BSF]

SHIV LAHRI MEENA, Under Secy.